

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 361/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट  
महेन्द्रराम पुत्र रामकरण निवासी कुलचासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री लीलाधर स्वामी वकील-वादी  
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 28.11.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री लीलाधर स्वामी वकील वादी व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रौही मौजा कुलचासर के खाता सं. 98/107 के ख.नं. 115/1 में 7.5270 है0 कृषि भूमि का नक्शा मुताबिक रिपोर्ट/फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.11.2025  
...को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

